तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 76 / 2024
10.01.2025	पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही उपस्थित. प्रतिवादी संख्या– 1 (नाथूसिंह पुत्र बलवन्तसिंह जी, जाति– राजपूत, निवासी– खरल, पोस्ट–ओटवाला, तहसील– सायला, जिला– जालोर, भागीदार, फर्म राजस्थान होलसेल मार्ट, मैन बस स्टेण्ड, सिरोडी, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही) एवं प्रतिवादी संख्या– 2 (सागर भरत कुमार जोशी, भागीदार, फर्म राजस्थान होलसेल मार्ट, मैन बस स्टेण्ड, सिरोडी, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही, हाल निवास– 211, बालचन्द अपार्टमेन्ट, नरोना कम्पाण्ड, क्रास गार्डन के पास, भायन्दर, महाराष्ट्र) तथा प्रतिवादी संख्या– 3 (भावेश राजकुमार ठाकर, भागीदार, फर्म राजस्थान होलसेल मार्ट, मैन बस स्टेण्ड, सिरोडी, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही, हाल–कमरा नं. 107, धनश्याम दुबे चाल, डी.एन.डी. रोड, दहिसर ईस्ट, मुम्बई, महाराष्ट्र) अनुपस्थित। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादीगण के विरुद्ध तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा फर्म राजस्थान होलसेल मार्ट, मैन बस स्टेण्ड, सिरोडी में प्रतिवादी नाथूसिंह पुत्र बलवन्तसिंह जी राजपूत से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ रिफाईन्ड मूंगफली तेल (Brand-Aaron) का नमूना संख्या S-1475 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./546/Act/2021/644 दिनांक 02.9.2021 में मिथ्याछाप (Misbranded) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 52 के तहत प्रतिवादीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाये गये। जिस पर प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 07.1.2025 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 क्रमशः नाथूसिंह व सागर भरत कुमार जोशी ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर संयुक्त लिखित जवाब प्रस्तुत किया। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 3 (भावेश राजकुमार ठाकर) को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी उपस्थि नही हुआ। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने प्रतिवादी संख्या 3 (भावेश राजकुमार ठाकर) का एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें प्रतिवादी भावेश राजकुमार ठाकर ने स्वयं की कमर दर्द स्पाइन बिमारी की वजह से न्यायालय में उपस्थित होने में असमर्थता जाहिर की गई है। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने प्रकरण का आज ही निस्तारण करने का अनुरोध किया व उनके द्वारा प्रस्तुत जवाब को ही प्रतिवादी संख्या– 3 (भावेश राजकुमार ठाकर) का भी जवाब माना जाने का अनुरोध किया। जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को सुना गया। जिन्होंने जवाब मे अंकित कथनों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि हम नाथूसिंह, सागर जोशी व भावेश ठाकुर की सिरोडी में दुकान थी। दिनांक 20.8.2021 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा मूंगफली तेल का नमूना लिया था वह जांच मे मिथ्याछाप पाया गया है जिसमें मूंगफली तेल के निर्माण की तिथि अंकित नही है। ......लगातार

न्यायालय प्रा० जिला कलेक्टर सिरोही (राज०)

प्रा०. जिला कलेक्टर
सिरोही–307001.

यह कि हमारे द्वारा रिटेलर का कार्य किया जाता था। मूंगफली तेल का निर्माण हमारे द्वारा नही किया गया था। दुकान को हमनें अगस्त, 2022 में वडे घाटे की वजह से बन्द कर दिया है। इस प्रकरण में हमें दो साल बाद नोटिस मिला है। हमारें पास जो बिल आदि थे हमने विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी को जमा करवा दिये थे। अतः हमें इस प्रकरण से मुक्त किया जावे।

हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही दिनांक 20.08.2021 को समय 3.30 पी.एम. पर खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु फर्म राजस्थान होलसेल मार्ट, बस स्टेण्ड, सिरोडी, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही पर गये। वहां पर प्रतिवादी विक्रेता नाथूसिंह पुत्र वलवन्तसिंह जी, जाति– राजपूत, निवासी– खरल, तहसील– सायला, जिला– सिरोही उपस्थित मिले। श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म राजस्थान होलसेल भण्ड़ार, बस स्टेण्ड, सिरोडी की दुकान के निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग आने वाले खाद्य पदार्थ रिफाईन्ड मूंगफली तेल (Brand-Aaron) में मिलावट का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना प्रपत्र 5ए में प्रतिवादी विक्रेता नाथूसिंह को गवाह श्री विशाल सिंह, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष भरकर दी तथा दुकान के अन्दर आलमारी की रैक में आमजन की बिक्री हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ रिफाइंड मूंगफली तेल (Brand-Aaron) के 18 पैक्ड बोतालें (प्रत्येक एक लीटर) में से रिफाईन्ड मूंगफली तेल (Brand-Aaron) की 4 पैक्ड बोतलें (प्रत्येक एक लीटर) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु क्रय की एवं उसकी कीमत राशि रुपये 660/– (अक्षरे रुपये छः सौ साठ मात्र) प्रतिवादी विक्रेता नाथूसिंह को अदा कर खरीद रसीद बिल प्राप्त किया। श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेवल पर अभिहित अधिकारी के कोड एवं क्रमांक, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम रिफाईन्ड मूंगफली तेल (Brand-Aaron) आदि अंकित कर उस पर प्रतिवादी विक्रेता नाथूसिंह एवं उक्त गवाह के हस्ताक्षर करवाये व स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा ने हस्ताक्षर किये। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा ने खरीद शुदा रिफाईन्ड मूंगफली तेल (Brand-Aaron) के चारों पैक्ड बोतलों/नमूना भागों पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर, प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-1475 का नियमानुसार गोंद से चिपकाया। प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता व गवाहों के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये, फिर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने

.....लगातार

न्यायालय प्रांत व जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज.)

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 76/2024	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की, जिस पर प्रतिवादी नाथूसिंह व गवाह तथा श्री विनोद कुमारी शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। तत्पश्चात् श्री विनोद कुमार शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पॅहुचकर विधिवत कार्यवाही करते हुए खाद्य पदार्थ रिफाईन्ड मूंगफली तेल (Brand-Aaron) के नमूना संख्या S-1475 को जांच हेतु खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को भिजवाया, जो खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांकः L.S./546/Act/2021/644 दिनांक 02.9. 2021 में मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है फर्म राजस्थान होलसेल मार्ट, मैन बस स्टेण्ड, सिरोडी के प्रतिवादीगण भागीदार प्रोपराईटर है। इससे यह स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण की भागीदारी की प्रोपराईटरी फर्म राजस्थान होलसेल मार्ट, बस स्टेण्ड, सिरोडी में प्रतिवादी नाथूसिंह द्वारा मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 52 के तहत मिथ्याछाप (Misbranded) रिफाईन्ड मूंगफली तेल (Brand-Aaron) के विक्रय हेतु प्रतिवादी संख्या 1 से 3 क्रमशः नाथूसिंह पुत्र बलवन्तसिंह जी, जाति– राजपूत, निवासी– खरल, पोस्ट–ओटवाला, तहसील– सायला, जिला– जालोर, भागीदार, फर्म राजस्थान होलसेल मार्ट, मैन बस स्टेण्ड, सिरोडी, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही एवं प्रतिवादी सागर भरत कुमार जोशी, भागीदार, फर्म राजस्थान होलसेल मार्ट, मैन बस स्टेण्ड, सिरोडी, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही तथा प्रतिवादी भावेश राजकुमार ठाकर, भागीदार, फर्म राजस्थान होलसेल मार्ट, मैन बस स्टेण्ड, सिरोडी, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही पर संयुक्त रुप से राशि रुपये 30,000/– (अक्षरे रुपये तीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादीगण नाथूसिंह, सागर भरत कुमार जोशी व भावेश राजकुमार ठाकर को आदेशित किया जाता है कि उक्त शास्ति (Penalty) की राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही (Adjudicating officer and Adll. District Magistrate, Sirohi) के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी व प्रतिवादीगण को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

न्यायालय प्रांत० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
प्रांत. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001